रजिस्ट्री सं डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2008/फाल्गुन 17, 1929
No. 84] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2008/PHALGUNA 17, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2008

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के या वहाँ से निर्यातित विटामिन "ई" पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा

सं. 15/10/2008-डीजीएडी.—यत: वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 2-12-2002 की अधिसूचना सं. 14/32/2002-डी जी ए डी द्वारा अनंतिम शुल्क की सिफारिश की थी और भारत सरकार द्वारा ऐसा अनंतिम शुल्क 17 मार्च, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 41/2003 के तहत लगाया गया था। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन "ई" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 22-8-2003 की अधिसूचना सं. 14/32/2002-डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे और भारत सरकार द्वारा ऐसा निश्चयात्मक शुल्क दिनांक 6-10-2003 की अधिसूचना सं. 145/2003 के द्वारा लगाया गया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद :

मूल जांच और निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद विटामिन "ई" है । विटामिन "ई" एक कार्बनिक रसायन है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है । विटामिन "ई" के सभी स्वरूप उत्पाद के दायरे में आते हैं । यह उस उत्पाद, जिस पर शुल्क पहले से ही लागू है, की निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही बना रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है क्योंकि पश्चात्वर्ती अवधि के दौरान उत्पाद में कोई खास विकास या परिवर्तन नहीं हुआ है ।

3. समीक्षा और जांच शुरुआत हेतु अनुरोध :

और यत: सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को जब तक पहले हटाया न जाए, उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाता है ।

और यत: उपर्युक्त नियमों में प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि वह प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से इसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं । उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए उपायों की समाप्ति की तारीख से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मै. टी पी एम कंसल्टेंट्स के-3/ए, साकेत, नई दिल्ली-110017, मै. मर्क लि., शिवसागर स्टेट 'ए', डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018, जो संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन के एक बड़े भाग का उत्पादन करते हैं, ने विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित याचिका के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए लागू रखने और इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ।

याचिका की जांच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी मानते हैं कि पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से पाटन की पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने के बारे में याचिकाकर्त्ता के दावे की जांच करने के लिए यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के उपबंधों के अंतर्गत लागू पाटनरोधी शुल्क हेतु इस स्तर पर निर्णायक समीक्षा प्रक्रियाएं शुरू करना उचित होगा ।

4. शामिल देश :

इस जांच में शामिल देश चीन जन. गण. हैं ।

5. जांच अवधि :

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1-1-2007 से 31-12-2007 तक है। तथापि क्षति संबंधी विश्लेषण में वर्ष, 2004, 2005, 2006 और 2007 शामिल हैं ।

6. प्रक्रिया :

दिनांक 2-2-2008 की अधिसूचना सं. 14/32/2002-डी जी ए डी के तहत जारी अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 6-10-2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 145/2003 के तहत लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी इस बात की समीक्षा करने के लिए एतद्द्वारा जांच शुरू करते हैं कि क्या सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। इस समीक्षा में दिनांक 22-8-2003 की अधिसूचना सं. 14/32/2003 (मूल जांच के अंतिम परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं। प्राधिकारी का प्रस्ताव उपर्युक्त नियमों के अनुसार उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में यथा उल्लिखित याचिकाकर्त्ता, जिसका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, को घरेलू उद्योग के रूप में मानने का है।

7. सूचना प्रस्तुत करना :

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उसके दूतावासों के जरिए उसकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत के आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।

8. समय-सीमा :

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए अनुरोध प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिएं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना देने वाली पार्टी के अनुसार ऐसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उसे इसका कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होगा।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :

नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2008

(Sunset Review)

Sub: Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed against Vitamin 'E' originating in or exported from China PR.

No.15/10/2008-DGAD.— Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty *vide* Notification No. 14/32/2002-DGAD dated 2-12-2002 and such provisional duty was imposed by the Govt. of India *vide* Customs Notification No. 41/2003 dated 17-03-2003. The Authority issued its Final Findings recommending imposition of definitive Anti-Dumping Duty on Imports of Vitamin 'E' (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred as subject country), *vide* Notification No. 14/32/2002-DGAD dated 22-08-2003 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India *vide* Customs Notification No. 145/2003 dated 6-10-2003.

2. Product under consideration :

The product under consideration in the original investigation as well as Sunset Review is Vitamin 'E'. Vitamin 'E', is an organic chemical and has been classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. All forms of Vitamin 'E' are within the scope of the product. This being a sunset review of the product against which duty is already in force the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation, as there has been no significant development or change in the product during the period thereafter.

3. Request for Review and Initiation:

And Whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the Anti Dumping Duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

And Whereas the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

In terms of the above provisions, M/s. TPM Consultants, K-3/A, Saket, New Delhi-110017 representing the Indian Producer M/s. Merck Ltd., Shiv Sagar Estate 'A', Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018 commanding a major proportion of the domestic production of the subject goods, has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for continuation and enhancement of the Anti-Dumping Duty imposed on subject goods from subject country for a further period of 5 (five) years.

On the basis of the examination of the petition, the Designated Authority considers that the Sunset Review proceedings for the Anti-Dumping Duty in force would be appropriate at this stage under the provision of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended to investigate the claim of the petitioner about reoccurrence of dumping and consequential injury to the domestic industry in case of cessation of Anti-dumping Duty already in place.

4. Country involved:

The country involved in this investigation is China PR.

5. Period of Investigation:

The period of investigation for the purpose of the present review is from 01-01-2007 to 31-12-2007. However, injury analysis shall cover the years 2004, 2005, 2006 and 2007.

6. Procedure :

Having decided to review the final findings issued *vide* Notification No. 14/32/2002-DGAD dated 22-08-2003 and final duty imposed *vide* Customs Notification No.145/2003 dated 6-10-2003, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of Anti-Dumping Duty is likely to lead to recurrence of Dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject country in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Notification No.14/32/2002-DGAD dated 22-8-03 (Final Findings of the original investigations). The Authority proposes to consider petitioner as mentioned in paragraph 3 above as domestic industry in accordance with the Rules supra as it constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India.

7. Submission of Information :

The exporters in subject country, the Governments of subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
The Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra.*

9. Submission of Information on Non-confidential Basis :

In terms of Rule 7 the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

10. Inspection of Public File :

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7). In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.